

पात्र परिवार की श्रेणी

स.क्र.	
01	समस्त अन्त्योदय परिवार
2	समस्त बी.पी.एल. परिवार
3	समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य।
4	ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन, खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत हैं एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य।
5	“साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना” एवं “हाथ ठेला चालक कल्याण योजना” में पंजीकृत व्यक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत साइकिल रिक्शा/हाथ ठेला चालक एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य।
6	सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य।
7	अनाथ आश्रम, निराश्रित/विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चे तथा वृद्धाश्रमों में निःशुल्क निवासरत वृद्धजन।
8	घरेलू कामकाजी महिलाएँ।
9	फेरीवाले (स्ट्रीट वेन्डर)।
10	वनाधिकार पट्टेधारी।
11	रेलवे में पंजीकृत कुली।
12	मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी।
13	बन्द पड़ी मिलों में नियोजित पूर्व श्रमिक।
14	बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 के अधीन परिचय-पत्र धारी बीड़ी श्रमिक।
15	समस्त भूमिहीन कोटवार।
16	कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी।
17	नगरीय निकायों के पंजीकृत केशशिल्पी।
18	पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति।
19	एचआईवी (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हों)।
20	मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों व आयकरदाताओं को छोड़कर)
21	मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों व आयकरदाताओं को छोड़कर)
22	प्रदेश में मत्स्य पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत परिवार/सदस्य।
23	वर्ष 2013-14 प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ऐसे परिवार, जिनकी फसलों से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
24	पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक।
25	विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के परिवार जो पूर्व से अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों से छोटे हैं।

(बी.के. झंकेल)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग